

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

क्रमांक:संस्था / ट.प.2021 / कोटेशन / 2021-22 / 4305

दिनांक : 09/7/2021

कोटेशन के लिए अनुरोध

जिला कलक्टर जयपुर द्वारा जयपुर जिले में राजस्थान अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा आयोजन हेतु प्राधिकृत व्यवहारियों/प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं/सदभाविक व्यवहारियों/प्रतिष्ठित पंजीकृत फर्मों से कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं।

कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :-

अनुमानित मूल्य - रूपये 96000/-

क्र. सं.	कार्य	विवरण	परीक्षार्थियों की अनुमानित संख्या
1.	जयपुर जिले में राजस्थान अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा आयोजन कार्य	वित्तीय वर्ष में तीन बार टंकण परीक्षा आयोजित की जायेगी, परीक्षा आयोजन हेतु भवन, परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था, टंकण परीक्षा हेतु कम्प्यूटरों की व्यवस्था, प्रवेश पत्र जारी करना, सॉफ्टवेयर/ऐप्लीकेशन के माध्यम से टंकण परीक्षा आयोजन, परीक्षा समाप्ति पर ऑनलाईन उसी दिन परिणाम एवं प्रमाण-पत्र जारी करना एवं परीक्षार्थियों हेतु पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था आदि कार्य सफल बोलीदाता फर्म द्वारा सम्पादित किया जायेगा एवं बोलीदाता फर्म द्वारा टंकण सॉफ्टवेयर/ऐप्लीकेशन स्वयं के व्यय पर क्रय किया जायेगा। फर्म से कार्य के अनुभव के संबंध में गत पांच वर्षों के दौरान राजकीय विभागों/संस्थानों, उपक्रमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में कम्प्यूटर टंकण परीक्षा या अन्य ऑनलाईन परीक्षा आयोजन हेतु जारी कोई एक कार्यादेश/भुगतान प्रमाण/कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।	100

उक्त कार्य हेतु इच्छुक दरदाता अपना कोटेशन सीलबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कमरा नं. 104 में 15.07.2021 को सांग 05:00 बजे तक संलग्न वित्तीय प्रस्ताव के प्रपत्र में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे, प्रस्तुत की जाने वाली दरें समस्त व्यय सहित होगी व जी.एस.टी. की दर अलग से अंकित की जावे।

आर.एफ.क्यू दिनांक 16.07.2021 को प्रात 11:00 बजे उपरिधत दरदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

अन्य शर्तें:-

1. उक्त कार्य कर्म/अधिक व निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
2. सफलबोली दाता फर्म को राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु समय-समय पर जारी गाईडलाइन/दिशानिर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी।
3. यह कोटेशन राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 एवं लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान एवं नियमों के अनुसार जारी की जा रही है। अतः इस पर आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।
4. टंकण परीक्षा, परिणाम राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन/परिपत्रों/आदेशों एवं इस कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया जायेगा।
5. सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अति. जिला कलक्टर, प्रथम
जयपुर

क्रमांक:संस्था / ट.प.2021 / कोटेशन / 2021-22 / 4306-4301 दिनांक : 09/7/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, नोटिस बोर्ड पर चस्पार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. फर्म मैसर्स.....।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

अति. जिला कलक्टर, प्रथम
जयपुर

कोटेशन के लिए अनुरोध

वित्तीय प्रस्ताव

1. फर्म का नाम
2. पता
3. फोन नं.
4. रजिस्ट्रेशन
5. पैन कार्ड
6. जीएसटी
7. दर

क्र. स.	कार्य	विवरण	परीक्षार्थियों की अनुमानित संख्या	दर प्रति परीक्षार्थी (राशि रूपयों में)	कुल व्यय (कॉलम संख्या 4X5) (राशि रूपयों में)
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर जिले में राजस्थान अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्त फार्मिकों की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा आयोजन कार्य	वित्तीय वर्ष में तीन बार टंकण परीक्षा आयोजित की जायेगी, परीक्षा आयोजन हेतु भवन, परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था, टंकण परीक्षा हेतु कम्प्यूटरों की व्यवस्था, प्रवेश पत्र जारी करना, सॉफ्टवेयर/ऐप्लीकेशन के माध्यम से टंकण परीक्षा आयोजन, परीक्षा समाप्ति पर ऑनलाईन उसी दिन परिणाम एवं प्रमाण-पत्र जारी करना एवं परीक्षार्थियों हेतु पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था आदि कार्य सफल बोलीदाता फर्म द्वारा सम्पादित किया जायेगा एवं बोलीदाता फर्म द्वारा टंकण सॉफ्टवेयर/ऐप्लीकेशन स्वयं के व्यय पर क्रय किया जायेगा। फर्म से कार्य के अनुभव के संबंध में गत पांच वर्षों के दौरान राजकीय विभागों/ संस्थानों, उपक्रमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में कम्प्यूटर टंकण परीक्षा या अन्य ऑनलाईन परीक्षा आयोजन हेतु जारी कोई एक कार्यादेश/भुगतान प्रमाण/ कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।	100		

जी.एस.टी. दर (प्रतिशत में) यदि लागू हो।

हस्ताक्षर बोलदाता
मय सील